



RAEBARELI POLICE



दिनांक 27 जुलाई 2021

थाना बछरावां

अवैध शस्त्र-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी महाराजगंज के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 26 जुलाई 2021 को थाना बछरावां पुलिस टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्त सुखराम पुत्र सुकरू निवासी झामखेड़ा मजरे अटरा थाना बछरावां जनपद रायबरेली को मय 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ थानाक्षेत्र के झामखेड़ा मोड़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-385/2021 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सुखराम पुत्र सुकरू निवासी झामखेड़ा मजरे अटरा थाना बछरावां जनपद रायबरेली।

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उप-निरीक्षक श्रीमती नीलम यादव थाना बछरावां रायबरेली।
2. आरक्षी श्री राहुल कुमार बिन्द थाना बछरावां रायबरेली।
3. आरक्षी श्री अजय तिवारी थाना बछरावां रायबरेली।
4. आरक्षी श्री हेमराज थाना बछरावां रायबरेली।



मीडिया सेल रायबरेली